समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

होली संयुक्त आदेश-2016

इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक 23 /24 मार्च, 2016 को मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च, 2016 की रात्रि में होलिका दहन सम्पन्न होगा। कुछ स्थानों पर होली के एक दिन बाद झुमटा निकालने, धुरखेल /रंग-अबीर खेलने की भी परम्परा है तथा कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जिन्हें रंग-अबीर एवं धुरखेल खेलना पसंद नहीं है, परन्तु उन्हें भी जबरदस्ती रंग-अबीर एवं गंदा रंग लगा दिया जाता है, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है, जिस पर कड़ी निगरानी वांछनीय है।

अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक-5728/वि0शा0, दिनांक-03-03-2016 द्वारा होली-2016 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी पूर्वाभाष समीक्षात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पांच खण्ड यथा- (क)-प्रस्तावना (ख)- पुनरावृत्ति वाले स्थानों की सूची /होली के अवसर पर पिछले पांच वर्षो की घटनाओं की समीक्षा (ग)-क्षेत्रवार एवं जिलावार विस्तृत प्रतिवेदन (घ)-साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित लंबित कांडों की जिलावार विवरणी (ड.) -साम्प्रदायिक घटनाओं के रोकथाम के उपाय के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जो निम्नवत् है :-

इस वर्ष ''होली-पर्व दिनांक 23/24 मार्च, 2016 को मनाये जाने की सूचना है। दिनांक 22 मार्च, 2016 की रात्रि में होलिका दहन एवं दूसरे दिन दिनांक 23/24-03-2016 को होली पर्व मानाया जाएगा। होलिका दहन की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों चौक-चौराहों पर होलिका बनाकर होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन के समय लोगों के द्वारा लोक संगीत (फगुआ) गाया जाता है। कभी-कभी इस गायकी में अश्लील शब्दों का प्रयोग भी किए जाने से विवाद उत्पन्न होता है। शरारती तत्वों के द्वारा होलिका में जान-बूझ कर पूर्व विवाद को लेकर दूसरों के सामानों को होलिका में डाल दिया जाता है या फूस की झोपड़ियों में आग भी लगा दी जाती है, जिसमें विवाद उत्पन्न होता है। होली के दिन सामान्यतः लोग रंग-अबीर से होली खेलते हैं। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि होली के नाम पर लोग एक दूसरे पर कीचड़, गोबर या पेन्ट फेकते है तथा एक-दूसरे के कपड़े फाड़ देते है, जो विवाद का कारण होता है तथा कदाचित विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शरारती तथा असामाजिक तत्वों के द्वारा मद्यपान कर अवांछित हरकत की जाती है। कभी-कभी ऐसे लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की जाती है। शहरी क्षेत्रों में कुछ युवाओं के द्वारा मद्यपान कर तेजी व लापरवाही से दुपहिया तथा चारपहिया वाहनों को सड़क पर चलाया जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है।

दिनांक 25-03-2016 को होली पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार है। उस दिन सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जायेगी। हिन्दू समुदाय के कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जान-बूझ कर मुस्लिम व्यक्ति पर अथवा मस्जिदों पर रंग या अबीर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना बन जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि दो भिन्न समुदायों विशेषकर हिन्दू- मुस्लिम समुदायों के मध्य घटित छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर दोनों समुदायों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद के परिणति स्वरूप विधि-व्यवस्था की गहन समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टिकोण से विशेष सतर्कता अपेक्षित है। समसामयिक घटनाओं के कारण उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव तथा उसकी परिणति स्वरूप बदलते राजनैतिक तथा सामाजिक परिदृश्य के कारण हिन्दू-

मुस्लिम समुदाय में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी जहां हिन्दू- मुस्लिम समुदाय की मिश्रित आबादी है वैसे स्थान संवेदनशील है। इन समुदायों के असामाजिक तत्वों के साथ-साथ साम्प्रदायिकता भड़काने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है। दोनों समुदायों के प्रभावशाली, न्यायप्रिय तथा प्रशासन समर्थक व्यक्तियों को विश्वास में लेकर सदैव साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वर्ष 2016 में बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संभावित है। तीनों स्तर पर प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन प्रारंभ हो गया है। यह चुनाव अत्यंत कठिन होता है। इस चुनाव में स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर प्रतिस्पर्धा रहती है। इस चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा विजय प्राप्त करने हेतु किसी भी स्तर पर चाहे वह जातीय हो, स्थानीयता हो, धार्मिक अथवा सम्प्रदायिक हो अपने क्षेत्र के नागरिकों की भावना को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से भी होली पर्व पर साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता बनाए रखने हेतु यथोचित सतत प्रयास आवश्यक है। कतिपय मौकापरस्त दलों तथा कट्टरपंथियों द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का कर राजनीतिक लाभ देने की चेष्टा भी की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से भी साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता बनाए रखने हेतु यथोचित सतर्कता आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि बोध गया बुद्ध मंदिर परिसर में तथा भारतीय जनता पार्टी के गांधी मैदान, पटना की रैली के दौरान आतंकवादी तत्वों के द्वारा की गयी विध्वंसक कार्रवाई के कारण भी दोनों (हिन्दू-मुस्लिम) साम्प्रदायों में उत्पन्न साम्प्रदायिक कटुता के बिन्दु पर तथा ऐसे आंतकवादी तत्वों के द्वारा देश की आतंरिक सुरक्षा को प्रभावित करने एवं अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से होली पर्व के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों को लक्षित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत तथा छेड़खानी पर रोक लगाने हेतु निगरानी के साथ-साथ लाईसेंसी एवं अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। होली पर्व में प्रायः देखा जाता है डी0जे0 पर शरारती व्यक्तियों के द्वारा अश्लील गीतों को बजाया जाता है। अश्लील गीतों के कारण भी विवाद उत्पन्न होता है, इसलिए इस पर भी रोक लगाना आवश्यक है।

- विगत पांच वर्षो में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं से स्पष्ट है कि :-
  - कब्रिस्तान विवाद को लेकर
  - भूमि-विवाद को लेकर
  - जुलूस मार्ग को लेकर
  - धार्मिक रीति-रिवाज एवं धार्मिक मान्यताओं को लेकर
  - महिलाओं के साथ घटित घटनाओं को लेकर
  - अन्य विविध कारणों से घटित साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी गयी है।
- होली के अवसर पर निम्नलिखित कारणों से साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं दृष्टिगोचर हुई, जो निम्न प्रकार है :-
  - हिन्दू /मुस्लिम के विवादास्पद स्थल पर होलिका दहन किया जाना।
  - हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के लागों पर जबरन रंग /अबीर डाला जाना।

- विवादास्पद स्थल के निकट होली गीत गाया जाना तथा डी0जे0 पर अश्लील गीत बजाया जाना।
- असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़खानी /जबरन अबीर, गुलाल, रंग फेका जाना।
- होली गीत गाने में तथा झूमटा जुलूस के समय महिलाओं के उपर अश्लील फब्तियाँ कसना तथा छेड़-छाड़ किया जाना।
- अवैध शराब बनाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर उसकी बिक्री करना आदि।

उपरोक्त सभी विन्दुओं पर इस पर्व के अवसर पर विशेष रूप से सर्तक रहने की आवश्यकता है।

मधेपुरा जिला साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इस जिला के मधेपुरा नगर एवं बिहारीगंज में पूर्व में साम्प्रदायिक तनाव /आंशका दृष्टांत प्रतिवेदित हुए थे। इस जिला के मधेपुरा थाना के सम्पूर्ण क्षेत्र, सिंहेश्वर थाना का सम्पूर्ण क्षेत्र, कुमारखंड, मुरलीगंज, उदाकिशुनगंज, पुरैनी, चौसा आलमनगर, गम्हरिया थाना क्षेत्र संवेदनशील है।

<u>पृष्ठभूमि</u> - दिनांक 09/10-04-2013 को कुमारखंड थानान्तर्गत जंगल टोला स्थित मस्जिद परिसर में सुअर का मांस का टुकड़ा फेंक दिए जाने से दोनों सम्प्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। दिनांक 23-09-2013 को घैलाढ़ थाना के श्रीनगर गांव में अवस्थित कब्रिस्तान से शिवो यादव की जे0सी0बी0 मशीन से मिट्टी खोदकर ले जाने को लेकर तनाव व्याप्त हो गया।

<u>वर्ष 2014</u>, दिनांक-05-02-2014 को मधेपुरा सदर थाना (मठाही ओ0पी0) क्षेत्रान्तर्गत ग्राम- दुबियाही में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिन्दू समुदाय के दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी जिसमें एक महिला की मृत्यु गोली लगने से हो जाने की घटना, दिनांक 10-02-2014 को चौसा थानान्तर्गत ग्राम-फुलौत में कब्रिस्तान की घेराबंदी के दौरान रास्ता को लेकर हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किए जाने को लेकर, दिनांक 15-07-2014 को मधेपुरा थानान्तर्गत ग्राम- गुलजारबाग वार्ड नं0-29 में एक हिन्दू लड़की के अपहरण को लेकर, दिनांक 11-08-2014 को आलमनगर थानान्तर्गत ग्राम-बतुलवासा में हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर छीटाकशी को लेकर एवं उपर्युक्त मामलों में दोनों समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुए।

<u>वर्ष-2015</u> में दिनांक 29-03-2015 को बिहारीगंज थानान्तर्गत बिहारीगंज बाजार में रामनवमी जुलूस के मार्ग विवाद को लेकर, दिनांक 10-04-2015 को सदर थानान्तर्गत ग्राम-साहूगढ़ दिवानीटोला की एक हिन्दू लड़की के अपहरण को लेकर, दिनांक 22-07-2015 को मधेपुरा थानान्तर्गत ग्राम-साहूगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर एवं उपर्युक्त मामलों में दोनों समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुए।

अतः होली के अवसर पर उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान, किशुनगंज, पुरैनी, मुरलीगंज, गम्हरिया थाना क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक सतर्कता अपेक्षित है।

उपरोक्त घटनाओं से संबंधित स्थलों के अतिरिक्त अन्य विवादित एवं संभावित स्थानों को चिन्हित कर तदनुसार इस पर्व के अवसर पर प्रशासनिक सतर्कता एवं निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।

➢ मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड थाना कांड संख्या-45/13, दिनांक-11-04-2013, जो अभियोजन स्वीकृत्यादेश हेतु लंबित है तथा साम्प्रदायिक घटना से संबंधित है, फलस्वरूप